

संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छ.ग.)

पुजारी पार्क, पुलिस लाईन कैम्पस, टिकरापारा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक-रा.न्या.वि.प्र./भर्ती एवं चयन/एम-3406-~~४~~2023 रायपुर,

दिनांक-16.08.2024

::विज्ञापन::

छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-6/दो-गृह/FSL/2024 अटल नगर, दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के रिक्त 30 पदों पर संविदा भर्ती की अनुमति प्रदाय की गयी है। अतः राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर एवं अधीनस्थ जिला सीन ऑफ जिला सीन ऑफ क्राईम यूनिटों के लिए छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधान अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाईन आवेदन स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 22.08.2024 से 05.09.2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं:-

वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी)			(श्रेणी- द्वितीय)				निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
क्र.	वर्ग	कुल रिक्त पद	पदों का आरक्षण				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपूँसै	
1	अनारक्षित	3	3	-	-	-	51780/-
2	अनुसूचित जाति	1	1	-	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	2	2	-	-	-	
4	अपिव (क्रिमीलेयर को छोड़कर)	1	1	-	-	-	
	योग-	7	7	0	0	0	
वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन)			(श्रेणी- द्वितीय)				निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
क्र.	वर्ग	कुल रिक्त पद	पदों का आरक्षण				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपूँसै	
1	अनारक्षित	2	2	-	-	-	51780/-
2	अनुसूचित जाति	0	0	-	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	1	1	-	-	-	
4	अपिव (क्रिमीलेयर को छोड़कर)	1	1	-	-	-	
	योग-	4	4	0	0	0	
वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)			(श्रेणी- द्वितीय)				निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
क्र.	वर्ग	कुल रिक्त पद	पदों का आरक्षण				
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपूँसै	
1	अनारक्षित	2	2	-	-	-	51780/-
2	अनुसूचित जाति	0	0	-	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	1	1	-	-	-	
4	अपिव (क्रिमीलेयर को छोड़कर)	1	1	-	-	-	
	योग-	4	4	0	0	0	

(Handwritten signature)

4. प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य अर्हताएं :- विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान विषय सहित 10+2 शिक्षा प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए।
5. प्रयोगशाला परिचारक हेतु अनिवार्य अर्हताएं :- 10+2 शिक्षा प्रणाली में हाईस्कूल/कक्षा 10वीं (विज्ञान सहित) उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) आयु सीमा :-

वैज्ञानिक अधिकारी के पद हेतु- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों को कैलेण्डर वर्ष 2024 में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात् 40 वर्ष की छूट होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमिलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु-सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक के पद हेतु- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों को कैलेण्डर वर्ष 2024 में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात् 40 वर्ष की छूट होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमिलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु-सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीप:- आयु सीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये ये निर्देश भी लागू होंगे।

(3) नियुक्ति की अवधि :- नियम 4(1) के अंतर्गत उल्लिखित संविदा नियुक्ति के पदों पर, संविदा नियुक्ति प्रथम बार, तीन वर्ष की कालावधि के लिए की जायेगी, तथापि, राज्य सरकार, आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात्, संविदा नियुक्ति की कालावधि को एक बार में अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाते हुए, संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।

उपरोक्त समस्त पदों पर तीन वर्ष की कालावधि के पहले यदि सीधी भर्ती से नियुक्ति हो जाती है तो उपरोक्त समस्त संविदा पद पर की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।

(4) संविदा वेतन:-

1. वैज्ञानिक अधिकारी (मासिक संविदा वेतन एकमुश्त)-51780/-
2. प्रयोगशाला सहायक (मासिक संविदा वेतन एकमुश्त)-20675/-
3. प्रयोगशाला परिचारक (मासिक संविदा वेतन एकमुश्त)-16615/-

संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

(5) अवकाश की पात्रता:-

1. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियत शाखा) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: एफ 9-1/2012/1-3, अटल नगर, दिनांक 10.07.2024 के माध्यम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में संशोधन के आधार पर संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों के आकस्मिक तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवोन्मुक्त होने पर, आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर की जायेगी।



//4//

स्पष्टीकरण :- गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जायेगा तथा विश्रामावकाश विभागों के लिये कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जायेगा।

2. संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रसूति अवकाश (संवैतनिक) अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय नहीं होगा।

(6) चयन प्रक्रिया :- चयन प्रक्रिया कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों का चयन (Walk-in-Interview) के माध्यम से किया जावेगा तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन विभाग द्वारा किया जावेगा।

(7) नियम एवं शर्तें :-


1. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता-अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।
2. Walk-in-Interview के समय समस्त प्रमाण-पत्र की मूलप्रतियां तथा 2 सेट छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण-पत्र की मूलप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणीत (Carry Forward) नहीं किए जाएंगे, वरन् उस प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
5. दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे होरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।
6. विज्ञापित पद के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिबाधित दिव्यांग कृपया आवेदन न करें।
7. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
9. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर बरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें बरीयता प्रदान की जावेगी।
10. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि ये आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें।
11. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूलरूप से प्रस्तुत करना होगा।

(8) महत्वपूर्ण टीप :-

1. विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
2. भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑफलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे गये आवेदन ही मान्य किया जावेगा एवं सीधे कार्यालय में आकर जमा किया गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

//5//

4. उपरोक्त पदों पर भर्ती से संबंधित सूचना समय-समय पर जारी की जावेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नियमित तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर की वेबसाइट (www.fsl.cg.nic.in) का अवलोकन करते रहें।



हेत-संचालक

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला,
रायपुर (छ.ग.)